

# FORM NO. III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी मुकाम मण्डावर(दोसा)

हरिओम यगैरह बनाम रागखिलाडी यगैरह

किस्म मुकदमा - वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88, 53, 188 राजस्थान कायतकारी अधिनियम 1955 मु.न. 98/2025

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
30.07.2025	<p>यह वादपत्र वादीगण की ओर से अभिभापक श्री प्रदीप चौधरी द्वारा वाकत घापणा खातेदारी, तकास्मा एवं रथाई निपेधाज्ञा प्रस्तुत किया गया। वादपत्र दर्ज रजिस्टर होकर प्रतिवादीगण को सम्मन जरिये <b>Registered AD</b> वास्ते जाहिर करने वजह जारी हो। पत्रावली वास्ते तलबी दिनांक 29.08.2025 को पेश हो।</p> <p style="text-align: right;">उपखण्ड अधिकारी मंडावर (दोसा)</p> <p>29.8.25 पत्रावली पेश हुई, पत्रावली के पर-2 भाषण दिलवाई गई। वादी पक्ष अनुपस्थित रहे। वादी द्वारा प्रतिवादीगण की तामील / तामील रजिस्टर्ड डाक रकीदे पेश नहीं की गई। इसके स्पष्ट है कि वादी पत्रावली में कोई भी कार्यवाही के लिए इच्छुक नहीं है। इसलिए पत्रावली वादी की भद्रम एजरी व भद्रम चेंबरी में खारिज की जाती है। पत्रावली कैसल शुमार होकर दाखिल इफतर है।</p> <p style="text-align: right;">उपखण्ड अधिकारी मंडावर (दोसा)</p>	